संख्या- 95 /2018/ 1783 /चार-2018-138(वि0)/2016

प्रेषक,

डा0 वन्दना वर्मा
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ

सस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 06 जुलाई, 2018

विषय- वेतन समिति उ0प्र0 2008 की संस्तुतियों के आधार पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ में कार्यरत आशुलिपिक के ग्रेड वेतन उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के चौदहवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्वशासी संस्थाओं की पदवार /एवं सामान्य कोटि के संवर्ग /पदों के संबंध में दी गयी संस्तुतियों पर वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-109/दस-54(एम)/2008 टीसी दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा लिये गये सामान्य निर्णय के क्रम में राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ के आशुलिपिक के पद पर निम्न तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित भर्ती की वर्तमान अर्हता के स्थान पर तालिका के स्तम्भ-7 के अनुसार अर्हता निर्धारित करते हुए स्तम्भ-6 के अनुसार उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 स0	वर्तमान व्यवस्था			शासनादेश दिनांक 27फरवरी, 2013 के अनुसार पुनर्गठित व्यवस्था		
	पदनाम/पदों की संख्या	वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया	पदनाम/पदों की संख्या	वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया
1	2	3	4	5	6	7
1	आशुलिपिक 01	5200-20200 ग्रेड पे-2400	1- इण्टरमीडिएट 2- हिन्दी टंकण व आशुलिपिक में 30 व 80 शब्द प्रति मिनट	आशुलिपिक 01	5200-20200 ग्रेड पे-2800	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता-इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलेखन में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान (डी0ओ0ई0 ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित कम्प्यूटर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

						पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी।

2- उच्चीकृत /संशोधित ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3- संबंधित सेवानियमावली में उपर्युक्तानुसार यथा अपेक्षित संशोधन कर लिया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-573 /दस-2018 दिनांक 02 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 वन्दना वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 95 / 2018 / 1783 (1)/चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (02प्रतियों में)
6- निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षित ब्यूरों , वित्त विभाग, सचिवालय।
7- सचिव, राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ
8 -गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(डा0 वन्दना वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।